(वाद सं0.-6864/18)

10.09.2020

तीन बार नोटिस दिये जाने के बावजूद भी परिवादी अनुपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला लखेन्द्र प्रसाद एवं अन्य के द्वारा जमीन का कब्जा करने एवं शौचालय जाने का रास्ता बंद कर देने के आधार पर संस्थित किया गया है।

उक्त के संबंध में **वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी चार भाई है। चारों भाईयों के बीच जमीन का बंटवारा हो चुका है, सिर्फ धर का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है, जिसके कारण सभी भाईयों के बीच शौचालय जाने को लेकर विवाद होता रहता है। जिसके आधार पर संबंधित पक्ष को अपने संयुक्त परिवार वाले धर के बंटवारा हेतु अंचल कार्यालय में नियमानुसार मामला दायर करने हेतु निर्देशित किया है साथ–ही–साथ दंड प्रक्रिया की धारा 107 के अंतर्गत थाना स्तर से निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रतिउत्तर की मांग की गई। परिवादी का अपने प्रतिउत्तर मे कथन है कि एक पक्ष (लखेन्द्र प्रसाद), अमीन द्वारा किये गये नापी को मानने के लिए तैयार नहीं है ।

प्रसंगाधीन मामला एक भूमि विवाद है। परिवादी को सलाह दी जाती है कि वह सक्षम न्यायालय मे उपरोक्त विवाद के विधिनुसार निराकरण हेतु याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

ऐसी परिस्थिति मे आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामलें में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

सहायक निबंधक